गैर-गोपनीय

मामला सं. एडी (ओआई) - 39/2025

फा. सं. 6/44/2025-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय

अंतिम जांच परिणाम

चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कॉपर डेटा केबल्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

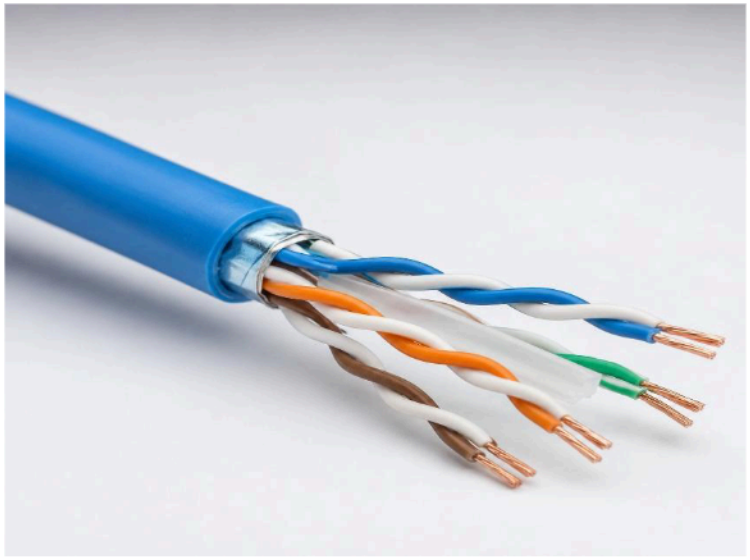

गैर-गोपनीय

विषय-सूची

मामले की पृष्ठभूमि 4

क. प्रक्रिया 5

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु 9

ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 10

ख.2 घरेलू उद्योग के विचार 10

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 10

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति 12

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 12

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार 12

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 13

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां 14

घ.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां 14

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 15

ङ. विविध अनुरोध 16

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां 16

ङ.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां 16

ङ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 17

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन 18

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां 18

च.2 घरेलू उद्योग के विचार 19

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 20

च.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण.....21

छ. क्षति का आकलन.....28

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार.....28

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार.....31

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 34

ज. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध 48

ज.1 कारणात्मक संबंध सिद्ध करने वाले कारक.....49

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा.....50

ञ. शुल्क प्रभाव आकलन.....52

जनहित और घरेलू उद्योग का हित.....52

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार.....52

ञ.2 घरेलू उद्योग के विचार.....52

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 53

ट. प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियाँ.....55

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार.....55

ट.2 घरेलू उद्योग के विचार.....57

ट.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण 59

ठ. निष्कर्ष.....61

ड. सिफारिश.....63

ढ. आगे की प्रक्रिया.....65

गैर-गोपनीय

<u>भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/44/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 16.09.2026

अंतिम जांच परिणाम
मामला सं. एडी (ओआई)-39/2025

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'कॉपर डेटा केबल्स' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जॉच- अंतिम जांच परिणाम

फा. सं. 6/44/2025-डीजीटीआर - समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे एडी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

<u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. मैसर्स बिरला केबल लिमिटेड ("बीसीएल") और मैसर्स स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("एसटीएल") (जिन्हें इसके बाद संयुक्त रूप से 'आवेदक' कहा गया है) ने अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष चीन जनवादी गणराज्य ("चीन" या "पीआरसी") (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कॉपर डेटा केबल्स" (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' अथवा 'संबद्ध वस्तु' भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

2. और चूंकि, आवेदकों द्वारा दायर विधिवत रूप से रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/44/2025-डीजीटीआर, दिनांक 18 सितंबर 2025 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू की गई, ताकि संबद्ध वस्तु के किसी भी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए, तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

<u>क. प्रक्रिया</u>

3. इस जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क.1 जॉच की शुरूआत

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ii. क्षति अवधि के साथ-साथ जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदा-वार विवरण प्रदान करने के लिए डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा के निर्धारण और सौदों की विधिवत रूप से जांच करने के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

iii. नियम 6 के अनुसार, आवेदन की जांच करने और पाटन, क्षति, संभावना तथा कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलने पर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 18 सितंबर 2025 की सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत की।

iv. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भारत स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों के साथ-साथ अन्य

हितबद्ध पक्षकारों को जॉच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध किया।

क.2 जांच की अवधि

v. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) तक की है। क्षति जांच अवधि (आईआईपी) में वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और जांच अवधि शामिल है।

क.3 आवेदन के अगोपनीय अंश का परिचालन

vi. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई।

vii. नियम 6(4) के अनुसरण में, सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के विवरण सहित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली जारी की गई थी। जहां कहीं भी अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति प्रदान की गई थी।

क.4 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भागीदारी

viii. संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके प्रतिक्रिया दी है:

क. जिन्हुआ गुआंगयांग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ("जेजीईटी")
ख. जेडटीसी टेक्नोलॉजी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
ग. जेडटीसी टेक्नोलॉजी (सूझोउ) कंपनी लिमिटेड
घ. निंगबो एक्सीलेंस कम्युनिकेटेड कनेक्टर कंपनी लिमिटेड
ङ. झेजियांग चाओलियान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड
च. एक्सीलेंस वायर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
छ. सीआरएक्सकोनेक कंपनी लिमिटेड

ix. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करके प्रतिक्रिया दी है:

क. एम्फेनॉल एफसीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ख. पीवी ल्युमेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

x. जॉच शुरूआत अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, वर्तमान जांच में किसी भी एसोसिएशन ने भाग नहीं लिया है अथवा प्रश्नावली संबंधी कोई अनुरोध नहीं किया है।

xi. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान जॉच में अपने सभी अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ परिचालित करने का निर्देश दिया गया था।

xii. सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों तथा घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा की गई थी।

xiii. विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है अथवा इस जांच से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें असहयोगी माना गया है।

क.5 आगे की प्रक्रिया

xiv. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोधों के अगोपनीय अंश हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आपस में परिचालित किए गए। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें उन सभी से अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करने का अनुरोध किया गया था।

xv. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 23 जनवरी 2026 को आयोजित सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का निर्देश दिया गया था।

xvi. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, जहां तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने गए हैं, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उचित रूप से विचार किया गया है।

xvii. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अनुसार, गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की ऐसी गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, जहां भी उचित समझा गया गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया गया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

xviii. नियम 8 के अनुसार, घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और आंकड़ों की सटीकता का प्राधिकारी द्वारा जांच के दौरान उस सीमा तक सत्यापन किया गया जहां तक इसे प्रासंगिक, व्यावहारिक और आवश्यक माना गया था। प्रस्तुत आंकड़ों और दस्तावेजों का सत्यापन अंतिम जॉच परिणाम का आधार बनता है और प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही में अपने विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर भरोसा किया है।

xix. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार, जहां किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जॉच के दौरान समय पर जानकारी देने से इनकार किया है अथवा जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न की है, वहॉ ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जॉच परिणाम दर्ज किए गए हैं।

xx. प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों/आयातकों आदि को भेजे गए दिनांक 6 अक्टूबर 2025 के सूचना पत्र के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां मांगी थीं। हितबद्ध पक्षकारों से पीयूसी के दायरे को बढ़ाने की मांग करते हुए टिप्पणियां प्राप्त हुईं, और पीसीएन पद्धति पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। तथापि, प्राधिकारी ने नोट किया कि पीयूसी के दायरे को जॉच शुरूआत के चरण में निर्धारित परिभाषा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, और इसलिए, दिनांक 28 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से, प्राधिकारी ने जॉच शुरूआत अधिसूचना में परिभाषित पीयूसी और पीसीएन के दायरे को अधिसूचित किया।

गैर-गोपनीय

xxi. क्षतिरहित कीमत की गणना आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर तथा सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार भारत में घरेलू समान वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत तथा उत्पादन और बिक्री लागत के आधार पर की गई है।

xxii. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई जानकारी पर, उनके साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने की सीमा तक और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने जाने पर, विचार किया गया है।

पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी ने 08.09.2026 को एक प्रकटन विवरण जारी किया। इसमें मौजूदा एंटी-डंपिंग जांच से जुड़े मामले में विचार किए जा रहे ज़रूरी तथ्यों का खुलासा किया गया। सभी संबंधित पक्षों से प्रकटन विवरण पर जो टिप्पणियां मिलीं, उनमें से जो भी प्रासंगिक और गैर-दोहराव वाली थीं, उन पर इन अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।

xxiii. इस दस्तावेज में '***' चिह्न किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई जानकारी को दर्शाता है।

xxiv. संबंधित जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 85.45 रूपये है।

<u>ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. वर्तमान जांच की शुरुआत के चरण में, निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के दायरे के रूप में माना गया था:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे "पीयूसी" कहा गया है) "कैट 5ई, कैट 6, कैट 6ए, कैट 7, कैट 7ए और पैच कॉर्ड्स सहित सभी संरचित कॉपर डेटा केबल्स" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) है। कॉपर डेटा केबल में आमतौर पर कॉपर कंडक्टरों के ट्विस्टेड पेयर्स शामिल होते हैं, जो पॉलीथीन या अन्य शीथिंग सामग्री से इंसुलेटेड होते हैं, जिसमें ब्रेडिंग, ड्रेन वायर, व्यक्तिगत और/या समग्र फॉयल शील्ड और एक विभाजक शामिल भी हो सकता है और नहीं भी, जिसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क ("लैन") पर डेटा और सिग्नलों के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। इसमें

शील्डेड और अनशील्डेड दोनों प्रकार की डेटा केबल शामिल हैं, जिन्हें उनके निष्पादन के आधार पर कैट 5ई, कैट 6, कैट 6ए, कैट 7, कैट 7ए और पैच कॉर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कॉपर डेटा केबल का मुख्य रूप से हाई-स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, दूरसंचार, नेटवर्किंग, ऑडियो-वीडियो ट्रांसमिशन आदि के लिए लैन केबल के रूप में उपयोग किया जाता है।"

ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. न्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. पीयूसी के दायरे में सीसीए (कॉपर क्लैड एल्युमिनियम) और सीसीएम (कॉपर क्लैड एल्युमिनियम मैग्नीशियम) केबलों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

ख.2 घरेलू उद्योग के विचार

6. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी जॉच शुरूआत अधिसूचना के अनुसार पीयूसी के दायरे की पुष्टि करें।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में पीयूसी कैट 5ई, कैट 6, कैट 6ए, कैट 7, कैट 7ए और पैच कॉर्ड्स सहित सभी संरचित कॉपर डेटा केबल्स हैं। कॉपर डेटा केबल में आमतौर पर कॉपर कंडक्टरों के मुड़े हुए जोड़े शामिल होते हैं, जो पॉलीथीन या अन्य शीथिंग सामग्री से इंसुलेटेड होते हैं, जिसमें ब्रेडिंग, ड्रेन वायर, व्यक्तिगत और/या समग्र फॉयल शील्ड और एक विभाजक शामिल हो भी सकता है और नहीं भी, जिसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क ("लैन") पर डेटा और सिग्नलों के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। इसमें शील्डेड और अनशील्डेड दोनों प्रकार की डेटा केबल शामिल हैं, जिन्हें उनके निष्पादन के आधार पर कैट 5ई, कैट 6, कैट 6ए, कैट 7, कैट 7ए और पैच कॉर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कॉपर डेटा केबल का मुख्य रूप से हाई-स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, दूरसंचार, नेटवर्किंग, ऑडियो-वीडियो ट्रांसमिशन आदि के लिए लैन केबल के रूप में उपयोग किया जाता है।

8. पीयूसी को अध्याय 85 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसका शीर्षक "विद्युत मशीनरी और उपस्कर तथा उनके भाग; ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक, टेलीविजन छवि और ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक, तथा ऐसी वस्तुओं के भाग और उपसाधन" है, जिसके अंतर्गत यह एचएस कोड 854449 में आता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
9. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में कोई पीसीएन पद्धति प्रस्तावित नहीं की गई थी। दिनांक 18.09.2025 की जॉच शुरूआत अधिसूचना के माध्यम से, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां आमंत्रित की थीं। यह नोट किया जाता है कि के.एम. केबल्स प्राइवेट लिमिटेड और एरीफ्लेक्स केबल्स से पीयूसी के दायरे के स्पष्टीकरण की मांग करते हुए टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। तथापि, आवेदकों द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी। अनुरोधों की जांच के बाद, प्राधिकारी ने पाया कि पीयूसी के दायरे को जॉच शुरूआत के चरण में निर्धारित परिभाषा से अलग नहीं बढ़ाया जा सकता है, और इसलिए, दिनांक 28 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से, प्राधिकारी ने पीयूसी के अंतिम दायरे और पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया, जैसा कि दिनांक 18.09.2025 की जॉच शुरूआत अधिसूचना संख्या 6/44/2025-डीजीटीआर में परिभाषित किया गया था।
10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं और संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के मामले में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
11. अत:, प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के लिए "समान वस्तु" हैं, जैसा कि नियमावली के नियम 2(घ) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद वही है जो दिनांक 18.09.2025 की जॉच शुरूआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया था, और निम्नानुसार है:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे "पीयूसी" कहा गया है) "कैट 5ई, कैट 6, कैट 6ए, कैट 7, कैट 7ए और पैच कॉर्ड्स सहित सभी संरचित कॉपर डेटा केबल्स"

(जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) है। कॉपर डेटा केबल में आमतौर पर कॉपर कंडक्टरों के मुड़े हुए जोड़े शामिल होते हैं, जो पॉलीथीन या अन्य शीथिंग सामग्री से इंसुलेटेड होते हैं, जिसमें ब्रेडिंग, ड्रेन वायर, व्यक्तिगत और/या समग्र फॉयल शील्ड और एक विभाजक शामिल हो भी सकता है और नहीं भी, जिसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क ("लैन") पर डेटा और सिग्नलों के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। इसमें शील्डेड और अनशील्डेड दोनों प्रकार की डेटा केबल शामिल हैं, जिन्हें उनके निष्पादन के आधार पर कैट 5ई, कैट 6, कैट 6ए, कैट 7, कैट 7ए और पैच कॉर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कॉपर डेटा केबल का मुख्य रूप से हाई-स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, दूरसंचार, नेटवर्किंग, ऑडियो-वीडियो ट्रांसमिशन आदि के लिए लैन केबल के रूप में उपयोग किया जाता है।"

ग. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

12. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. एसटीएल द्वारा किए गए आयातों पर विचार करने के बाद पाटनरोधी नियमावली, 1995 ("एडी नियमावली") के नियम 2(ख) के अंतर्गत उनकी पात्रता की जांच की जानी चाहिए।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

13. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. एसटीएल ने अपने ऑप्टिकल नेटवर्किंग व्यवसाय प्रभाग के माध्यम से केवल कैप्टिव उपयोग के लिए चीन से पैच कॉर्ड्स की बहुत कम मात्रा का आयात किया है। इस तरह के आयात भारत में कुल पीयूसी आयातों का लगभग 0.02% और एसटीएल के उत्पादन और बिक्री का 0.01% से भी कम थे, और इससे एक घरेलू उत्पादक के रूप में एसटीएल की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है।

ii. मात्र आयात करने से कोई उत्पादक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत अपात्र नहीं हो जाता है। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के *गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम अपर सचिव और निर्दिष्ट प्राधिकारी* मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि आयातों की प्रकृति और

उद्देश्य तथा क्या वह इकाई मुख्य रूप से विनिर्माता बनी हुई है, संगत विचारणीय मुद्दे हैं।

iii. बीसीएल और एसटीएल मिलकर कुल पात्र घरेलू उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा रखते हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. पाटनरोधी नियमावली, 1995 का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित करता है:

> *'घरेलू उद्योग' से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में लगे समग्र रूप से घरेलू उत्पादक या वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, किंतु ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित नहीं हों या वे स्वयं उसके आयातक नहीं हों, ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है'।*

15. वर्तमान आवेदन बिरला केबल लिमिटेड और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा, भारत में समान वस्तु के कई अन्य उत्पादक हैं, जिनके नाम ओरिएंट केबल्स इंडिया लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, कॉमस्कोप कनेक्टिविटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बेल्डेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं।

16. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि एसटीएल ने चीन जनवादी गणराज्य से कॉपर डेटा केबल के एक प्रकार, पैच कॉर्ड्स की नगण्य मात्रा का आयात किया है। तथापि, ऐसे आयात एसटीएल के कुल उत्पादन का 0.01% से भी कम हैं। यह सीमित आयात गतिविधि आवेदक के व्यवसाय की प्रकृति को विनिर्माता से व्यापारी में परिवर्तित नहीं करती है। तदनुसार, एसटीएल वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माने जाने के लिए पात्र है। बीसीएल ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के दोनों घटकों में से कोई भी संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/आयातकों में से किसी से संबंधित नहीं है। तदनुसार, बीसीएल और एसटीएल पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत एक प्रमुख हिस्सा रखते हैं, और घरेलू उद्योग का

गठन करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है।

घ. <u>गोपनीयता</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

17. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अंतर्गत निर्धारित प्रकटन करने में विफल रहा है, जिसमें अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य तथा क्षमता उपयोग के रुझानों से संबंधित जानकारी शामिल है।

ii. घरेलू उद्योग ने रुझान के रूप में निर्यात बिक्री की प्रति-इकाई लागत का प्रकटन नहीं किया है और वह व्यापार सूचना के अंतर्गत निर्धारित तरीके से एनआईपी की गणना प्रदान करने में भी विफल रहा है।

iii. इस प्रकार का गैर-प्रकटन घरेलू उद्योग की स्थिति, निष्पादन और क्षति के दावों की सार्थक जांच को बाधित करता है तथा अपने हितों की रक्षा करने के हितबद्ध पक्षकारों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

iv. अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में आपत्तियां पहले उठाए जाने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने न तो आपत्तियों का समाधान किया और न ही कमियों को सुधारते हुए संशोधित अगोपनीय अंश दायर किया है।

घ.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

18. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं:

i. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता विवरण में अपने गोपनीयता दावों के उचित और पर्याप्त कारण दिए हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि लागत और वित्तीय आंकड़े हमेशा व्यावसायिक रूप से संवेदनशील होते हैं और स्वयं संख्याओं से अलग होकर उनका सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

ii. लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लागत आवंटन के तरीके, मूल्यह्रास पद्धतियां और परिसंपत्ति पूंजीकरण सहित अत्यधिक संवेदनशील वित्तीय विवरण शामिल होते हैं, जिनका प्रकटन घरेलू उद्योग के वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

iii. घरेलू उद्योग आयात आंकड़ों के विवरण का प्रकटन नहीं कर सकता है क्योंकि यह तीसरे पक्ष के बाजार आसूचना स्रोतों पर आधारित है, जिसका प्रकटन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135कक के अंतर्गत निषिद्ध है।

iv. घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 10.11.2025 के अनुरोध के माध्यम से एनआईपी की सही रेंज को पुनः परिचालित किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली का नियम 7 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"नियम 7. गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, या जांच के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई अन्य सूचना, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसकी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने पर, उनके द्वारा उसी रूप में मानी जाएगी और ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना ऐसी कोई भी जानकारी किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं और यदि, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में, ऐसी जानकारी का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को कारणों का एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण संभव क्यों नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या जानकारी देने वाला पक्षकार या तो जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं है या इसे सामान्यीकृत या सारांश

रूप में प्रकट करने के लिए अधिकृत करने को तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अनदेखी कर सकते हैं।"

20. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विभिन्न अनुरोधों में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता दावों के मुद्दे उठाए हैं। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी उचित समझा गया गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराए।
21. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें उन सभी से अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करने का अनुरोध किया गया था।

ङ. <u>विविध अनुरोध</u>

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ध्यान में लाई गई विसंगतियों के बाद घरेलू उद्योग ने संशोधित प्रारूप IV-क के आंकड़े प्रस्तुत किए। तथापि, संशोधित आंकड़े एसटीएल की सूचना की विश्वसनीयता से संबंधित चिंताओं का समाधान नहीं करते हैं।

यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी एसटीएल के ब्याज लागत और लाभप्रदता आंकड़ों का सत्यापन करें, जिन्हें समाधान न होने योग्य और संभावित रूप से गलत बताया गया था।

ङ.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

23. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

घरेलू उद्योग ने यह मुद्दा उठाया है कि निंगबो एक्सीलेंस मौखिक सुनवाई के दौरान डीआई को अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर का अगोपनीय अंश परिचालित करने में विफल रहा, जिसके बाद डीआई द्वारा लिखित अनुरोध किए गए, और इसलिए, यह अनुरोध किया है कि इसके प्रत्युत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

बिक्री मूल्य के रुझानों में विसंगतियों के संबंध में मौखिक सुनवाई के दौरान जताई गई चिंताओं के प्रत्युत्तर में, डीआई ने व्यक्तिगत और संयुक्त प्रारूप IV-क प्रस्तुत किया, और इसकी एक प्रति सभी हितबद्ध पक्षकारों को भी परिचालित की गई।

एसटीएल की ब्याज लागत में वृद्धि एसटीएल की कच्ची सामग्री की खरीद नीति के कारण है, जिसमें एसटीएल अपने विक्रेताओं से खरीदे जाने वाले प्राथमिक कच्चे माल तांबे के भुगतान को टालता है और इसे चालू देनदारी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ब्याज लागत/प्रति किमी कुल बिक्री लागत के 5% से कम है। तदनुसार, इसे घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

ड़.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जॉच शुरूआत अधिसूचना का पैरा 22 विशेष रूप से सभी भागीदार हितबद्ध पक्षकारों से अपने प्रत्युत्तरों और अनुरोधों के अगोपनीय अंश को घरेलू उद्योग सहित अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने की अपेक्षा करता है। यह नोट किया जाता है कि निंगबो एक्सीलेंस अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर का अगोपनीय अंश परिचालित करने में विफल रहा, यहां तक कि मौखिक सुनवाई में घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में विशिष्ट आपत्ति जताए जाने और उसके बाद लिखित अनुरोध किए जाने के बाद भी उसने ऐसा किया है। प्राधिकारी ने निंगबो एक्सीलेंस से विशिष्ट स्पष्टीकरण मांगा और उसने घरेलू उद्योग सहित अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर के अगोपनीय अंश के परिचालित करने का साक्ष्य प्रदान किया है।
25. एसटीएल के ब्याज लागत के उतार-चढ़ाव और लाभप्रदता आंकड़ों के समाधान न होने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन में वृद्धि के साथ एसटीएल की ब्याज लागत में वृद्धि हुई है। एसटीएल ने स्पष्ट किया है कि घरेलू बिक्री की लागत कुल बिक्री लागत को घरेलू और निर्यात बिक्री कारोबार अनुपात में वितरित करके प्राप्त की गई है। बढ़ती घरेलू मांग के साथ, एसटीएल के घरेलू बिक्री कारोबार में पूर्ण रूप से

वृद्धि हुई, जिसके कारण इसकी घरेलू बिक्री पर ब्याज लागत का अधिक आवंटन हुआ। आगे यह स्पष्ट किया गया था कि यह ब्याज लागत मुख्य रूप से एसटीएल की विनिर्माण लागत अर्थात पीयूसी के उत्पादन के लिए तांबे की खरीद से संबंधित है।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

26. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चीन पर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था या प्रतिनिधि देश पद्धति लागू करने का कानूनी आधार 11 दिसंबर 2016 को समाप्त होना बताया गया था। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण चीन की वास्तविक घरेलू कीमतों और लागतों के आधार पर किया जाना चाहिए, भले ही बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा औपचारिक रूप से मांगा गया हो या नहीं।

ii. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 पर डीजीटीआर की निरंतर निर्भरता और घरेलू उद्योग की लागतों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन भारत के डब्ल्यूटीओ दायित्वों के साथ असंगत है। इस तर्क के समर्थन में कि चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के संगत प्रावधानों की समाप्ति के बाद सरोगेट पद्धति जारी नहीं रहनी चाहिए, भारत सरकार 'समझौतों का पालन होना चाहिए' के सिद्धांत और *ईसी-फास्टनर्स* में डब्ल्यूटीओ के निष्कर्षों से बाध्य है।

iii. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चीन के सहयोगी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सत्यापित लागत और कीमत संबंधी आंकड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा कथित पाटन मार्जिन अनुमानित कारखाना-द्वार निर्यात कीमतों और पंहुच मूल्य पर आधारित हैं और किए गए निर्यातों की वाणिज्यिक वास्तविकता को नहीं दर्शाते हैं। निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक सौदा-वार निर्यात कीमतें और पंहुच मूल्य डीआई द्वारा भरोसा किए गए अनुमानों की तुलना में काफी अधिक हैं और यदि उन पर विचार किया जाता है, तो पाटन मार्जिन नकारात्मक या न्यूनतम सीमा से कम हो सकता है।

v. पक्षकारों ने अपने स्वयं के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के निर्धारण का अनुरोध किया है।

vi. डीआई के कुल कीमत अनुमान वास्तविक आंकड़ों के प्रतिनिधि नहीं हैं, क्योंकि वास्तविक निर्यात प्राप्तियां डीआई द्वारा भरोसा किए गए कथित कम पंहुच मूल्य की तुलना में काफी अधिक हैं।

vii. निजी स्रोतों से प्राप्त आयात आंकड़े अविश्वसनीय हैं और पाटन के प्रयोजनों के लिए आयातों की जांच हेतु प्राधिकारी को डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा करना चाहिए।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

27. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चीन जनवादी गणराज्य एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था बना हुआ है और चीन के डब्ल्यूटीओ एक्शेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में, यह सिद्ध करने का दायित्व भाग लेने वाले निर्यातकों पर है कि वहां बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। भाग लेने वाले किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा नहीं किया है।

ii. प्राधिकारी को प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य व्ययों तथा लाभ के उचित संयोजन के साथ भारतीय घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत सहित "किसी अन्य उचित आधार" पर पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करना चाहिए।

iii. सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए, प्राधिकारी से तांबे हेतु प्रीमियम के साथ एलएमई कीमतों और अन्य कच्चे माल के लिए समायोजित अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है।

iv. प्राधिकारी को 5% लाभ के बजाय परिकलित सामान्य मूल्य के लिए उचित लाभ को अपनाना चाहिए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ इस प्रकार है:

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

(ख) परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

29. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई।

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उत्पादक निर्यातकों ने चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए हैं:

क. जिन्हुआ गुआंगयांग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ("जेजीईटी")

ख. जेडटीसी टेक्नोलॉजी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
ग. जेडटीसी टेक्नोलॉजी (सूझोउ) कंपनी लिमिटेड
घ. निंगबो एक्सीलेंस कम्युनिकेटेड कनेक्टर कंपनी लिमिटेड
ङ. एक्सीलेंस वायर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
च. सीआरएक्सकोनेक कंपनी लिमिटेड
छ. झेजियांग चाओलियान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड

च.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

31. विश्व व्यापार संगठन में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"जी ए टी टी -का अनुच्छेद 1994VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार"-के अनुच्छेद (VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांच के दायरे में आने वाले उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता का निर्धारण करने में जांच के अंतर्गत उद्योग के लिए चीन के कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा;

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है यदि जांच के अंतर्गत उत्पादक स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं कि उस उत्पाद के

विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं।

(ख) *एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में वर्णित सब्सिडियों पर विचार करते समय, एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि उस अनुप्रयोग में विशेष कठिनाइयां आती हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान करने और मापने के लिए ऐसी पद्धतियों का उपयोग कर सकता है जो इस संभावना को ध्यान में रखती हैं कि चीन में प्रचलित नियम और शर्तें हमेशा उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यावहारिक हो, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य को चीन के बाहर प्रचलित नियमों और शर्तों के उपयोग पर विचार करने से पहले ऐसे प्रचलित नियमों और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।*

(ग) *आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार उपयोग की गई पद्धतियों को पाटनरोधी पद्धतियों संबंधी समिति को सूचित करेगा और उप-पैरा (ख) के अनुसार उपयोग की गई पद्धतियों को सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों संबंधी समिति को सूचित करेगा।*

(घ) *आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"*

32. घरेलू उद्योग ने चीन के एक्शेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के साथ-साथ पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध I के पैरा 7 पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह बताया गया है कि यदि प्रतिवादी चीन के उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और मूल्य संबंधी सूचना बाजार-संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अंतर्गत की जानी चाहिए।

33. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि धारा 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, तथापि एक्शेसन प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा किया जाना आवश्यक है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जनवादी गणराज्य के प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी आवश्यक है।

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में भाग लेने वाले किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 के अनुसार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार कहा गया है:

> *"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर, या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर, या जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत शामिल है, जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत रूप से समायोजित किया गया हो। संबंधित देश और विचाराधीन उत्पाद के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित तरीके से एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का*

चयन किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय सूचना का उचित ध्यान रखा जाएगा। समय-सीमा के भीतर, जहां उपयुक्त हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच को भी ध्यान में रखा जाएगा। जांच के पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के पूर्वोक्त चयन के बारे में बिना किसी अनुचित देरी से सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित समय दिया जाएगा।"

35. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पैराग्राफ 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक अनुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर, या जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत शामिल है, जिसे एक उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत रूप से समायोजित किया गया हो। वर्तमान मामले में, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या परिकलित मूल्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान जांच में संबद्ध देश के अलावा, अन्य देशों से भारत में संबद्ध वस्तु का कोई आयात नहीं हुआ है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आयातों पर भी विचार नहीं किया जा सका।
36. अत:, प्राधिकारी पैराग्राफ 7 में निर्धारित "भारत में देय कीमत" के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करते हैं। इसकी गणना बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और लाभ के लिए उचित समायोजन के साथ विधिवत रूप से समायोजित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर की गई है। सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ख) चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत:

37. सभी भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा सूचित की गई संचयी मात्रा केवल 21,988 केएम है, जो संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात का केवल 11% दर्शाती है। इस प्रकार, संबद्ध देश से निर्यातों के एक बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी उत्पादकों/निर्यातकों ने जांच में भाग नहीं लिया है।

i. जेडटीसी टेक्नोलॉजी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड और जेडटीसी टेक्नोलॉजी (सूझोउ)

38. जेडटीसी टेक्नोलॉजी (सूझोउ) कंपनी लिमिटेड संबद्ध वस्तु की एक उत्पादक-निर्यातक है और इसने प्रत्यक्ष रूप से तथा अपनी संबंधित इकाई जेडटीसी टेक्नोलॉजी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड के माध्यम से संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, जिसने वर्तमान जांच में भी भाग लिया है।

39. सूझोउ ने भारत को संबद्ध वस्तु के *** केएम का निर्यात किया है। उत्पादक निर्यातक ने अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, ऋण लागत और बैंक प्रभार के कारण अपनी निर्यात कीमत में समायोजन का दावा किया है, जबकि इसके संबंधित निर्यातक ने सभी वस्तुओं का निर्यात कारखाना-द्वार आधार पर किया है। प्राधिकारी ने विधिवत रूप से सत्यापन के बाद दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ii. झेजियांग चाओलियान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड ("चाओलियान")

40. चाओलियान संबद्ध वस्तु (पैच कॉर्ड्स) की एक उत्पादक निर्यातक है और इसने जांच अवधि के दौरान केवल संबद्ध वस्तु का प्रत्यक्ष निर्यात किया है। चाओलियान ने भारत को संबद्ध वस्तु के *** के एम का निर्यात किया है। इसने अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत रूप से सत्यापन के बाद दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

iii. निंगबो एक्सीलेंस कन्-युनिकेटेड कनेक्टर कंपनी लिमिटेड ("निंगबो एक्सीलेंस")

41. निंगबो एक्सीलेंस संबद्ध वस्तु की एक उत्पादक निर्यातक है और इसने जांच अवधि के दौरान पैच कॉर्ड्स (कॉपर डेटा केबल का एक प्रकार) का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात किया है। निंगबो एक्सीलेंस ने अन्य उत्पादकों द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तु का भी निर्यात किया है। तथापि, ऐसे अन्य उत्पादकों ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने इसकी निर्यात कीमत की गणना के लिए केवल उन्हीं निर्यातों पर विचार किया है जो निंगबो एक्सीलेंस द्वारा विनिर्मित किए गए हैं।

42. निंगबो एक्सीलेंस ने स्वयं निर्मित पैच कॉर्ड्स के *** केएम का निर्यात किया है। निंगबो एक्सीलेंस ने अपने संबंधित व्यापारियों एक्सीलेंस वायर और सीआरएक्सकोनेक कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात किया है। निंगबो एक्सीलेंस और उसके संबंधित निर्यातकों ने पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, ऋण लागत और पैकिंग लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत रूप से सत्यापन के बाद दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

iv. जिन्हुआ गुआंगयांग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ("गुआंगयांग")

43. गुआंगयांग संबद्ध वस्तु (पैच कॉर्ड्स) की एक उत्पादक निर्यातक है और इसने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का प्रत्यक्ष निर्यात किया है। गुआंगयांग ने भारत को संबद्ध वस्तु के *** केएम का निर्यात किया है। गुआंगयांग ने अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत रूप से सत्यापन के बाद दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत</u>

44. चीन जनवादी गणराज्य के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.2 पाटन मार्जिन

45. उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, विषय देश से संबंधित उत्पाद के उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

गैर-गोपनीय

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य (डा./केएम)	निर्यात कीमत (डा./केएम)	पाटन मार्जिन (डा./केएम)	पाटन मार्जिन(%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
जेडटीसी टैक्नॉलाजी (सूझोउ) कं. लि.	***	***	(***)	(***)%	ऋणात्मक
झेजियांग चाओलियान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी	***	***	(***)	(***)%	ऋणात्मक
जिन्हुआ गुआंगयांग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी	***	***	(***)	(***)%	ऋणात्मक
निंगबो एक्सीलेंस कम्युनिकेटेड कनेक्टर	***	***	(***)	(***)%	ऋणात्मक
अन्य	***	***	***	***	70-80

गैर-गोपनीय

भाग - III

छ. क्षति का आकलन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

46. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. क्षति का निर्धारण सकारात्मक साक्ष्यों तथा पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत प्रभावों और घरेलू उद्योग पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव की एक वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष जांच पर आधारित होना चाहिए।

ii. रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री यह सिद्ध नहीं करती है कि संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति हुई है।

iii. आयातों में वृद्धि को पीयूसी की घरेलू मांग में पर्याप्त वृद्धि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग स्वयं अपनी घरेलू बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सक्षम रहा है, जिससे यह पता चलता है कि आयातों ने घरेलू बिक्री को विस्थापित करने के बजाय बढ़ती मांग की पूर्ति की है।

iv. आयातों में वृद्धि, चाहे वह समग्र रूप में हो या उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष हो, अपने आप में क्षति सिद्ध नहीं कर सकती जब तक कि यह न दर्शाया जाए कि आयातों का घरेलू उद्योग पर परिणामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

v. बाजार की स्थितियों, मांग में वृद्धि और घरेलू आपूर्ति की उपलब्धता की प्रतिक्रिया स्वरूप आयातों में उतार-चढ़ाव आया है।

vi. अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत डाउनस्ट्रीम उत्पादों में कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में आयात किए जाते हैं जिन्हें बाद में निर्यात किया जाता है। ऐसे आयातों के प्रभाव का आकलन करते समय उन पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

vii. चीन जनवादी गणराज्य के अलावा अन्य देशों से भी आयात मौजूद रहे हैं और क्षति का आरोप लगाने से पहले उनके प्रभाव की अलग से जांच की जानी चाहिए।

viii. अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री में गिरावट को चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जब आवेदक घरेलू उद्योग स्वयं उसी अवधि के दौरान अपनी घरेलू बिक्री में पर्याप्त वृद्धि करने में सक्षम रहा है।

ix. घरेलू उद्योग भारी कीमत ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण को सिद्ध करने में विफल रहा है। क्षति अवधि के दौरान इसकी बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति मोटे तौर पर एक ही दिशा में आगे बढ़ी हैं।

x. घरेलू उद्योग अपनी घरेलू बिक्री की मात्रा में वृद्धि करने के साथ-साथ अपनी बिक्री कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम रहा है। यह इस तर्क के साथ असंगत है कि आयातों ने घरेलू कीमतों में भारी कीमत ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण किया है।

xi. पंहुच मूल्य में गिरावट अपने आप में क्षति को सिद्ध नहीं करती है जहां घरेलू उद्योग ने अपनी निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि करना जारी रखा है।

xii. कीमत कटौती या कम कीमत पर बिक्री की अलग से जांच नहीं की जा सकती है। *ब्रिजस्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* मामले में माननीय सेसटैट के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

xiii. क्षति अवधि के दौरान स्थापित क्षमता में वृद्धि हुई है जो निरंतर विस्तार को दर्शाती है।

xiv. क्षति अवधि के दौरान उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि, बढ़ी हुई क्षमता के साथ, इस आरोप के साथ असंगत है कि आयातों ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

xv. आयातों के कारण क्षमता उपयोग में कोई वास्तविक गिरावट प्रदर्शित नहीं की गई है।

xvi. घरेलू बिक्री की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस तरह की वृद्धि यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग आयातों की उपस्थिति के बावजूद भारतीय बाजार की वृद्धि में भाग लेने में सक्षम रहा है।

xvii. घरेलू बिक्री में वृद्धि उत्पादन और मांग में वृद्धि से मेल खाती है और इसलिए यह आयातों के कारण बिक्री के किसी नुकसान का संकेत नहीं देती है।

xviii. माल सूची क्षति को प्रदर्शित नहीं करती है। उत्पादन और बिक्री के संबंध में माल सूची की जांच की जानी चाहिए।

xix. अन्य घरेलू उत्पादकों के आंकड़े माल सूची में गिरावट दर्शाते हैं, जो इस तर्क के साथ असंगत है कि आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादन को बेचने में असमर्थता हुई है।

xx. क्षति अवधि के दौरान रोजगार में वृद्धि हुई है।

xxi. वेतन और मजदूरी में भी वृद्धि हुई है।

xxii. उत्पादकता में सुधार हुआ है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में कोई भी मामूली गिरावट जनशक्ति में वृद्धि के कारण हुई है।

xxiii. घरेलू उद्योग ने पर्याप्त निवेश किया है जैसा कि नियोजित पूंजी, निवल अचल संपत्तियों और कार्यशील पूंजी में वृद्धि से परिलक्षित होता है। ऐसा निवेश क्षति उठाये जाने के तर्क के साथ असंगत है।

xxiv. केवल कर-पूर्व लाभ के आधार पर करने के बजाय लाभप्रदता की व्यापक रूप से जांच की जानी चाहिए।

xxv. पीबीआईटी और पीबीडीआईटी में सुधार दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का प्रचालन अच्छा बना रहा है।

xxvi. ब्याज लागत में वृद्धि ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को प्रभावित किया है।

xxvii. कीमत ह्रास में वृद्धि पूंजी निवेश और विस्तार को दर्शाती है और यह लाभप्रदता को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक है जिसे आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

xxviii. कार्यशील पूंजी और वित्तपोषण लागत में वृद्धि ने भी लाभप्रदता में गिरावट में योगदान दिया है।

xxix. निर्यात बिक्री में गिरावट घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित करने वाला एक अलग और स्वतंत्र कारक है।

xxx. घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, रोजगार, मजदूरी, उत्पादकता और निवेश में वृद्धि दर्ज की है, और इसलिए समग्र आर्थिक निष्पादन में भी वृद्धि हुई है।

xxxi. एनआईपी के निर्धारण के लिए नियोजित पूंजी पर 22% की नियत आय अपनाना अत्यधिक है और वर्तमान आर्थिक स्थितियों को नहीं दर्शाता है। एक उचित आय सामान्य प्रतिस्पर्धी स्थितियों के अंतर्गत और पाटन से अप्रभावित अवधियों के दौरान घरेलू उद्योग की वास्तविक लाभप्रदता पर आधारित होनी चाहिए।

xxxii. संबद्ध आयातों और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। लाभप्रदता में कोई भी गिरावट बढ़ी हुई वित्त लागत, मूल्यह्रास, निर्यात निष्पादन और अन्य आंतरिक या स्वतंत्र कारकों के कारण है।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

47. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग वित्त वर्ष 2023-24 से चीन से पाटित आयातों के कारण क्षति झेल रहा है। संबद्ध आयातों में वृद्धि ने भारतीय मांग में वृद्धि और बिक्री में वृद्धि को काफी पीछे छोड़ दिया है।

ii. क्षति अवधि के दौरान मांग में काफी वृद्धि हुई, पूरी क्षति अवधि के दौरान चीन से आयात कई गुना बढ़े हैं और लगातार बढ़े हैं, जिनमें जांच अवधि (पीओआई) के दौरान तीव्र वृद्धि हुई।

iii. आयातों में वृद्धि के लिए केवल मांग में वृद्धि को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थापित क्षमता है और कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है।

iv. 2022-23 से मांग का एक बड़ा हिस्सा चीन से होने वाले आयातों द्वारा हथिया लिया गया है।

v. जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में वृद्धि मांग में वृद्धि से प्रेरित थी और यह क्षति का निषेध नहीं करती है। पाटित आयातों की अनुपस्थिति में, घरेलू उद्योग उचित कीमतों पर काफी अधिक बिक्री और उत्पादन प्राप्त कर सकता था।

vi. आयात न केवल पूर्ण रूप से बल्कि घरेलू उत्पादन, घरेलू बिक्री और खपत के सापेक्ष भी काफी बढ़े हैं।

vii. क्षति अवधि के दौरान आयातों के बाजार हिस्से में लगातार वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों का बाजार हिस्सा घटा है।

viii. मांग में उल्लेखनीय वृद्धि और क्षमता की उपलब्धता के बावजूद, बाजार हिस्से में गिरावट आयातों के प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव को सिद्ध करती है।

ix. बिक्री में सुधार को उन कीमतों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिन पर ऐसी बिक्री की गई थी। वित्त वर्ष 2023-24 से, घरेलू उद्योग को कम कीमत वाले आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने मार्जिन को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए नुकसान उठाकर बिक्री की गई है।

x. कॉपर डेटा केबल्स की लागत में तांबे का हिस्सा लगभग 70-80% होता है और इसकी कीमत एलएमई कीमतों के संदर्भ में निर्धारित होती है। घरेलू लागतों और कीमतों की जांच करते समय एलएमई कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए उचित समायोजन करना आवश्यक है।

xi. चीन से कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक है।

xii. पंहुच मूल्य में काफी गिरावट आई और यह जांच अवधि के दौरान अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। उसी समय, बिक्री लागत में वृद्धि हुई, लेकिन निवल बिक्री प्राप्ति में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो सकी।

xiii. यद्यपि जांच अवधि के दौरान उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई, लेकिन ऐसी वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में काफी कम थी।

xiv. मांग में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद जांच अवधि के दौरान स्थापित क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अप्रयुक्त रहा। घरेलू उद्योग अपनी उपलब्ध क्षमता का पूरी तरह से

उपयोग करने में असमर्थ था क्योंकि बढ़ती मांग का एक बढ़ता हुआ हिस्सा चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों द्वारा हथिया लिया गया था।

xv. 2023-24 से मालसूची में वृद्धि हुई है। यद्यपि आधार वर्ष की तुलना में एसटीएल की माल सूची में गिरावट आई, लेकिन 2023-24 से जांच अवधि तक बीसीएल और एसटीएल दोनों की मालसूची में वृद्धि हुई।

xvi. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में विशेष रूप से 2023-24 से काफी गिरावट आई, और घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान घाटा हुआ।

xvii. बिक्री और उत्पादन में सुधार लाभप्रदता को कम करने पर आया है।

xviii. पीबीआईटी और पीबीडीआईटी में सुधार पर निर्भरता लाभप्रदता को उचित रूप से नहीं दर्शाती है। एसटीएल की कच्चा माल खरीद के कारण, इसकी ब्याज लागत सीधे तांबे की खरीद से प्रभावित होती है और उत्पादन के साथ बढ़ती है। इसलिए पीबीटी लाभप्रदता का अधिक उपयुक्त पैमाना प्रदान करता है, और पीबीटी में गिरावट आई है।

xix. एसटीएल की ब्याज लागत में वृद्धि तांबे के लिए उसकी खरीद नीति से उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान टाल दिया जाता है और उसे चालू देनदारियों के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी कम हो जाती है और ब्याज लागत अधिक होती है। इसके अलावा, प्रति किलोमीटर ब्याज लागत कुल बिक्री लागत का केवल ***% है और यह होने वाली क्षति को स्पष्ट नहीं कर सकती है।

xx. कार्यशील पूंजी और ब्याज लागत में वृद्धि मोटे तौर पर उच्च मांग से उत्पन्न उत्पादन में वृद्धि से जुड़ी है और इसे क्षति का एक स्वतंत्र कारण नहीं माना जा सकता है।

xxi. अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में गिरावट भी पाटित आयातों की बढ़ती पहुंच के अनुरूप है।

xxii. निर्यात बिक्री में गिरावट घरेलू बाजार में हुई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है।

xxiii. अन्य देशों से होने वाले आयात कारणात्मक संबंध को समाप्त नहीं करते हैं। चीन के अलावा, केवल वियतनाम से ही सार्थक आयात मात्रा थी, और वियतनाम से होने वाले आयात जॉच शुरूआत के चरण में लागू मात्रात्मक सीमा को पूरा नहीं करते थे।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 का नियम 11 यह प्रावधान करता है कि क्षति के निर्धारण में उन सभी कारकों की जांच शामिल होगी जो संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक ह्रास करना है या कीमतों में होने वाली ऐसी वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण स्तर तक हुई बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

छ.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

49. प्राधिकारी ने, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में संबद्ध उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित की जाने वाली मांग नीचे तालिका में दी गई है:

मांग का आकलन					
विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
चीन जन गण - संबद्ध देश	किमी	68,730	107,693	64,430	175,552
अपाटित आयात	किमी				21,988

गैर संबद्ध देशों से आयात	किमी	11,739	12,811	6,145	15,954
कुल आयात	किमी	80,469	120,504	70,576	213,494
घरेलू उद्योग की बिक्रियॉ	किमी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	99	105	138
अन्य उत्पादकों की बिक्रियॉ	किमी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	88	78	70
कुल मांग/खपत	किमी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	106	97	148

50. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि में संबद्ध वस्तु की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में मांग में लगभग 48% की वृद्धि हुई है। उसी समय, संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में 187% की वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध देश से आयात की मात्रा

51. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से पाटित संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा और पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**	**पीओआई पाटित आयात**
चीन जन गण - संबद्ध देश	किमी	68,730	107,693	64,430	197,540	175,552

गैर-संबद्ध देश	किमी	11,739	12,811	6,145	15,954	
कुल आयात	किमी	80,469	120,504	70,576	213,494	
घरेलू उद्योग की बिक्रियॉ	किमी	***	***	***	***	
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	99	105	138	
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियॉ	किमी	***	***	***	***	
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	88	78	70	
कुल मांग	किमी	***	***	***	***	
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	106	97	148	
निम्न के संबंध में संबद्ध देश के आयात						
कुल मांग	%	***	***	***	***	***
रेंज		0-10%	0-10%	0-10%	20-30%	20-30%
उत्पादन	%	***	***	***	***	***
रेंज		10-20%	20-30%	10-20%	40-50%	30-40%
कुल आयात	%	85%	89%	91%	93%	92%

52. यह नोट किया जाता है कि:

क. संबद्ध देश से आयात की मात्रा वर्ष 2022-23 में बढ़ी है, 2023-24 में घटी और उसके बाद इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा जांच अवधि में सर्वाधिक रही है।

ख. उत्पादन और खपत के संबंध में आयात वर्ष 2022-23 में बढ़े, 2023-24 में घटे और जांच अवधि में पुनः बढ़े हैं।

ग. कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात भी आधार वर्ष के 85% से बढ़कर जांच अवधि में 93% हो गया। भारत में चीन जनवादी गणराज्य से हुए कुल 93% आयातों में से 86% आयात पाटित पाए गए हैं।

53. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आयातों में वृद्धि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि के कारण हुई थी और ऐसे आयातों ने केवल संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन को संपूरित किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि 2023-24 और जांच अवधि के बीच मांग में ***% की वृद्धि हुई, वहीं संबद्ध आयातों में 207% की वृद्धि हुई, अर्थात मांग में वृद्धि की दर से लगभग चार गुना अधिक वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में, घरेलू उद्योग की बिक्री में ***% की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, पूर्ण रूप से अपनी बिक्री में वृद्धि के बावजूद, मांग में भारतीय उद्योग का हिस्सा 2023-24 के ***% से काफी घटकर जांच अवधि में ***% रह गया, जबकि संबद्ध आयातों का हिस्सा लगभग ***% से बढ़कर ***% हो गया।

54. यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से होने वाले आयातों की आयात कीमतों में वित्त वर्ष 2023-24 और जांच अवधि के बीच भारी गिरावट आई। यदि आयात केवल वृद्धिशील मांग को पूरा कर रहे होते, तो घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट का कोई कारण नहीं होता। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 और जांच अवधि के बीच पंहुच कीमत में 51% की गिरावट भी यह दर्शाती है कि संबद्ध देश के उत्पादकों का इरादा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कब्जा करना था। तदनुसार, यह नहीं कहा जा सकता कि चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले पाटित आयातों ने संबद्ध वस्तु की घरेलू आपूर्ति को केवल संपूरित किया है।

छ.3.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

55. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के पैरा (ii) के अनुसार, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कोई महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कम करना है या कीमतों में होने वाली ऐसी वृद्धि को एक महत्वपूर्ण स्तर तक रोकना है, जो अन्यथा बढ़ गई होती।

क) कीमत कटौती

56. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से की है। इस प्रकार निर्धारित कीमत कटौती नीचे दी गई है:

कीमत कटौती					
पीओआई	**पंहुच कीमत**	**निवल बिक्री प्राप्ति**	**कीमत कटौती**	**कीमत कटौती**	**कीमत कटौती**
	₹/किमी	**₹/किमी**	**₹/किमी**	**(%)**	**रेंज**
चीन जन गण	***	***	***	***	60-70

57. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम थी। कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक है।

ख) कीमत ह्रास / न्यूनीकरण

58. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के पंहुच मूल्य के साथ घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री

प्राप्ति की तुलना करने के उपरांत कीमत ह्रास और न्यूनीकरण की मौजूदगी की जांच की है। इसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण					
विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
बिक्री लागत	₹/किमी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचकांक	100	106	104	113
पंहुच मूल्य	₹/किमी	23,044	17,679	24,924	12,288
प्रवृति	सूचकांक	100	77	108	53
बिक्री कीमत	₹/किमी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचकांक	100	109	104	111

59. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वर्ष 2023-24 में मामूली गिरावट के साथ पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान, चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री मूल्य से कम रही थी। यद्यपि वर्ष 2023-24 और जांच अवधि के बीच, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत ₹ *** /किमी से बढ़कर ₹ *** /किमी हो गई, इसकी बिक्री लागत ₹ *** /किमी से बढ़कर ₹ *** /किमी हो गई। इसलिए घरेलू उद्योग लागत में हुई वृद्धि के पूरी तरह अनुरूप अपने बिक्री मूल्य में वृद्धि करने में असमर्थ रहा और जांच अवधि के दौरान अपनी बिक्री लागत से कम पर बेचने के लिए विवश हुआ।

60. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग जांच अवधि में अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम रहा है और बिक्री लागत में वृद्धि के साथ इसमें वृद्धि हुई है तथा तदनुसार, घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयात उसी समय घरेलू कीमतों में भारी कटौती कर रहे थे जब घरेलू उद्योग अपनी लागतों में हुई वृद्धि की भरपाई करने में असमर्थ रहा था। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और बिक्री मात्रा में समग्र रूप से

वृद्धि हुई, इन प्रतिकूल कीमत प्रभावों को नकारता नहीं है, विशेष रूप से तब जब मांग काफी उच्च दर से बढ़ी, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई, और संबद्ध आयातों ने बाजार के एक बढ़ते हुए हिस्से पर कब्जा कर लिया।

61. घरेलू उद्योग ने आगे यह स्पष्ट किया है कि संबद्ध वस्तुओं को कॉपर एलएमई + अन्य आरएम और विनिर्माण लागत पर बेचा जाता है। एलएमई की लागत सीधे ग्राहकों पर डाल दी जाती है और इसलिए, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि का कारण एलएमई कीमतों में वृद्धि होना था। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से इसका सत्यापन किया है। आगे यह नोट किया जाता है कि निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग लागत से कम पर बिक्री कर रहा है।

छ.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

62. पाटनरोधी नियमावली, 1995 का अनुबंध II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा ; नकदी प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है:

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री					
विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
स्थापित क्षमता (पीयूसी+एनपीयूसी)	किमी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	107	107

उत्पादन (पीयूसी+एनपीयूसी)	किमी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	94	94	114
उत्पादन पीयूसी	किमी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	99	100	126
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
रेंज	%	60-70	50-60	50-60	60-70
घरेलू बिक्रियॉ	किमी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	99	105	138

63. यह नोट किया जाता है कि मांग में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है। पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान आवेदकों के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में भी वृद्धि हुई। यह वृद्धि संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि के अनुरूप है।

64. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग क्षति से व्याप्त नहीं है क्योंकि वह जांच अवधि के दौरान बिक्री मूल्य के साथ-साथ अपनी बिक्री मात्रा में भी वृद्धि करने में सक्षम रहा है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा है, परंतु बिक्री में यह वृद्धि बिक्री लागत से कम कीमतों पर बिक्री करके हासिल की गई थी।

65. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान अपनी स्थापित क्षमता और उत्पादन में वृद्धि करने में सक्षम रहा, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन पाटित आयातों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुआ था। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि उसने भारतीय मांग में अपेक्षित वृद्धि के अनुरूप अपनी क्षमता का विस्तार किया था। फिर भी, पूरी मांग को पूरा करने

की क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की 25% से अधिक क्षमता अप्रयुक्त बनी हुई है।

66. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बिक्री में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम पर बिक्री करके प्राप्त की गई थी। जहां वर्ष 2023-24 और जांच अवधि के बीच पूर्ण रूप से घरेलू उद्योग की बिक्री में ***% की वृद्धि हुई, वहीं चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध आयातों के हिस्से में 207% की वृद्धि हुई, जिससे यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात ही थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय मांग में वृद्धि का लाभ उठाया।

ख. बाजार हिस्सा

67. घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

बाजार हिस्सा	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**	**पीओआई पाटित आयात**
घरेलू उद्योग	***	***	***	***	
रेंज	60-70%	60-70%	60-70%	60-70%	
अन्य भारतीय उत्पादक	***	***	***	***	
रेंज	10-20%	10-20%	10-20%	0-10%	
संबद्ध आयात	***	***	***	***	***
रेंज	10-20%	20-30%	10-20%	20-30%	
अन्य देशों के आयात	***	***	***	***	
रेंज	0-10	0-10	0-10	0-10	

68. यह नोट किया जाता है कि मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इसी अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 और जांच अवधि के बीच, चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों की मात्रा ***% से दोगुनी होकर ***% हो गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से को विस्थापित कर दिया है। विशेष रूप से, संबद्ध आयातों के ***% बाजार हिस्से में से, ***% बाजार हिस्सा पाटित आयातों द्वारा हथिया लिया गया है।

ग. माल सूची

69. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

मालसूची					
विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
औसत मालसूची	किमी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	91	95	107

70. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत माल सूची जांच अवधि के दौरान सर्वाधिक रही थी।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

71. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

गैर-गोपनीय

लाभप्रदता मापदंड					
विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
बिक्री लागत	₹/किमी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचकांक	100	106	104	113
एनएसआर	₹/किमी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचकांक	100	109	104	111
पीबीटी	₹/किमी	***	***	***	(***)
प्रवृति	सूचकांक	100	497	10	(61)
पीबीआईटी	₹/किमी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचकांक	100	257	91	113
पीबीडीआईटी	₹/किमी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचकांक	100	175	93	112
नकद लाभ	₹/किमी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचकांक	100	216	69	58
आरओसीई	%	***	***	***	***
रेंज	%	0-10	10--20	0-10	0-10

72. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि:

क. जांच अवधि में पीबीटी में गिरावट आई है और यह नकारात्मक हो गया है।

ख. क्षति अवधि के दौरान नकद लाभ में गिरावट आई है।

ग. यद्यपि आधार वर्ष की तुलना में 2022-23 में घरेलू उद्योग के नियोजित पूंजी पर आय में ***% की वृद्धि हुई थी, परंतु उसके बाद 2023-24 में इसमें ***% की गिरावट आई और जांच अवधि के दौरान यह लगभग उसी स्तर पर बनी रही है।

घ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है। तथापि, जांच अवधि में नकद लाभ और पीबीटी में गिरावट आई क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कम कीमत वाले आयातों के दबाव के कारण वह उचित लाभ अर्जित करने की सीमा तक अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है।

73. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति घरेलू उद्योग की उच्च ब्याज लागत के कारण है। इस संबंध में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि एसटीएल की ब्याज लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, भले ही उसने कोई विस्तार नहीं किया हो। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति असामान्य रूप से बढ़ी हुई लागत के कारण है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसटीएल द्वारा वहन की गई ब्याज लागत मुख्य रूप से तांबे (प्राथमिक कच्चे माल) की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी ऋण के कारण है और यह किसी असाधारण या असंबंधित वित्तीय निर्णय का परिणाम नहीं है। इस तरह के ऋण उत्पादन प्रक्रिया और घरेलू उद्योग के दैनिक संचालन का एक अभिन्न अंग होते हैं।

ड़. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

74. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

श्रम और उत्पादकता मानदंड					
विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृति	सूचकांक	100	76	75	96
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***

प्रवृति	सूचकांक	100	76	91	148
प्रतिदिन उत्पादकता	किमी/दिन	***	***	***	***
प्रवृति	सूचकांक	100	62	64	113

75. यह नोट किया जाता है कि 2023-24 की तुलना में जांच अवधि में वेतन एवं मजदूरी तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई। आवेदकों ने दावा किया है कि ऐसा मांग में वृद्धि के कारण उत्पादन में हुई वृद्धि की वजह से हुआ था:

च. वृद्धि

वृद्धि			
विवरण	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
उत्पादन	***	***	***
घरेलू बिक्रियॉ	***	***	***
पीबीटी	***	***	***
आरओसीई	***	***	***

76. यह नोट किया जाता है कि:

i. मांग में वृद्धि के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और उत्पादन ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।

ii. वर्ष 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के लाभप्रदता पैरामीटरों ने नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

77. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह लाभ पर पर्याप्त आय अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है और इसलिए, पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता काफी क्षीण हुई है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों के कारण कोई नया निवेश नहीं किया जा रहा है क्योंकि घरेलू उत्पादक पहले से किए गए निवेशों पर आय अर्जित करने में असमर्थ रहे हैं।

ज. पाटन की मात्रा

78. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का काफी अधिक पाटन हुआ है, जिसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को प्रभावित किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि भागीदार निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन नकारात्मक है, परंतु ऐसे निर्यातक संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के कुल आयातों का केवल 11% हिस्सा रखते हैं। इसलिए, उनका व्यक्तिगत कीमत निर्धारण व्यवहार आयातों की भारी मात्रा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

छ.3.4 क्षति का समग्र आकलन

79. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच निम्नलिखित दर्शाती है:

क. आधार वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि (पीओआई) में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से निर्यातों के एक बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी उत्पादक/निर्यातक जांच में शामिल नहीं हुए हैं।

ख. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा बढ़ी है और यह जांच अवधि में अपने उच्चतम स्तर पर थी।

ग. जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। तथापि, भारतीय मांग में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग इसका लाभ उठाने में सक्षम नहीं रहा

है क्योंकि ऐसी मांग के एक बड़े हिस्से पर संबद्ध देश से संबद्ध आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया था।

घ. जांच अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध आयातों का पंहुच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति से कम है। भारी कीमत कटौती और कीमत ह्रास मौजूद है।

ङ. जांच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।

ज. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध</u>

80. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई हो सकती है। प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा अन्य ज्ञात कारकों की जांच की है और यह सुनिश्चित किया है कि क्या ऐसे कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण हो सकते थे, ताकि अन्य कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, तो उसके लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेची गई संबद्ध वस्तु की मात्रा, मांग में संकुचन या उपभोग की प्रवृति में बदलाव, व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

81. संबद्ध देश से होने वाले आयात भारत में कुल आयातों का 90% से अधिक हैं। इसके अलावा, अन्य सभी देशों से संबद्ध वस्तु के आयात व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम स्तर से कम रहे हैं। इस प्रकार, क्षति तीसरे देशों से होने वाले आयातों के कारण नहीं मानी जा सकती है।

ख) मांग में संकुचन

82. जांच अवधि में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ग) उपभोग की प्रवृति

83. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोग की प्रवृति में ऐसा कोई वास्तविक बदलाव नहीं आया है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकता हो।

ङ) प्रौद्योगिकी में विकास

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

86. ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति के लिए घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

87.प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तु के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज.1 कारणात्मक संबंध सिद्ध करने वाले कारक

88. यद्यपि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है, इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है:

i. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।

ii. भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

iii. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की पंहुच कीमत आवेदकों की बिक्री कीमत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक और भारी कीमत कटौती हुई है।

iv. आयातों ने जांच अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है।

v. संबद्ध देश से पाटित आयातों में समग्र और सापेक्ष दोनों रूपों में जांच अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

vi. घरेलू उद्योग के नकद लाभ और निवेश पर आय में गिरावट आई है तथा जांच अवधि के दौरान इसने ऋणात्मक लाभ अर्जित किया है।

89. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

90. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पंहुच कीमत की तुलना करने हेतु एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए, पूरी क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। नियमावली, 1995 के अनुबंध III में निर्धारित किए गए अनुसार एनआईपी ज्ञात करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद हेतु नियोजित औसत पूंजी (अर्थात औसत निवल अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (कर-पूर्व 22% की दर से) की अनुमति दी गई थी।

91. पंहुच कीमत और ऊपर यथा निर्धारित एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक	**क्षतिरहित कीमत (डा./किमी)**	**पंहुच मूल्य (डा./किमी)**	**क्षति मार्जिन (डा./किमी)**	**क्षति मार्जिन (%)**	**क्षति मार्जिन (रेंज)**
जेडटीसी टैक्नॉलाजी (सुझोउ) कं. लि.	डंपिंग मार्जिन ऋणात्मक होने के कारण इसे तय नहीं किया गया है।				
झेजियांग चाओलियान इलेक्ट्रिक कं. लि.					
जिनहुआ गुआनयंग इलेक्ट्रानिक टेक्नॉलाजी कं. लि.					
निंगबो एक्सीलेंस कम्युनिकेटेड कनेक्टर कं. लि.					
अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	50-60

ञ. शुल्क प्रभाव आकलन

जनहित और घरेलू उद्योग का हित

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

92. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. कॉपर डेटा केबल्स दूरसंचार, ब्रॉडबैंड, डेटा केंद्रों, डिजिटल कनेक्टिविटी, औद्योगिक ऑटोमेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण इनपुट हैं, और पाटनरोधी शुल्क लगाने से इन क्षेत्रों के लिए इनपुट और परियोजना लागत में वृद्धि होगी।

ii. उच्च लागत डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, जिसमें 'डिजिटल इंडिया' पहल के उद्देश्य भी शामिल हैं, और अंततः अंतिम उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ सकती है।

iii. घरेलू आपूर्ति की अनुपूर्ति करने और पीयूसी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक हैं।

iv. कॉपर डेटा केबल्स का उपयोग सरकार द्वारा वित्तपोषित और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भी किया जाता है, तथा शुल्क के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई कीमतें खरीद लागत और सार्वजनिक व्यय को बढ़ाएंगी।

ञ.2 घरेलू उद्योग के विचार

93. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. एसटीएल और बीसीएल दोनों के पास यूएल प्रमाणन है और वे प्रयोक्ता उद्योग द्वारा अपेक्षित यूएल-प्रमाणित पीयूसी की आपूर्ति करने में सक्षम हैं।

ii. शुल्क के महत्वपूर्ण प्रभाव से संबंधित दावा किसी भी प्रकट की गई गणना द्वारा समर्थित नहीं है, क्योंकि अंतर्निहित कार्यप्रणाली को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। सार्थक प्रकटन के अभाव में, ऐसे दावों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

<u>ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति को दूर करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा के माहौल को बढ़ावा मिले। यह केवल एक विनियामक उपाय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटनरोधी उपायों को लागू करना या जारी रखना संबद्ध देश से होने वाले आयातों को मनमाने ढंग से रोकने के लिए नहीं बनाया गया है। बल्कि, यह समान अवसर सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के बने रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यह नोट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मूल स्वरूप अप्रभावित रहेगा। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपायों को जारी रखना पाटन प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकता है। यह संबद्ध वस्तु के व्यापक चयन तक उपभोक्ताओं की पहुंच की सुरक्षा करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क कोई बाधा नहीं बल्कि निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं में सुविधा प्रदान करते हैं।
95. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जॉच शुरूआत अधिसूचना जारी की थी। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को वर्तमान जांच से संबंधित संगत सूचना प्रदान करने की अनुमति देने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल था।
96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य संबद्ध देश से आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचारात्मक जांचों का उद्देश्य व्यापार को विकृत करने वाले आयातों के विरुद्ध उपयुक्त शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसरों को बहाल करना है। इसके साथ ही, प्राधिकारी इस बात से अवगत हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल पीयूसी के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पीयूसी के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा, शुल्क लगाने से घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती

हैं, लेकिन साथ ही देश के भीतर नए उत्पादकों द्वारा उत्पादन किए जाने को बढ़ावा भी मिल सकता है।

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु के लिए कोई मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु के कई उत्पादक हैं, तदनुसार, शुल्क लगाए जाने के बाद भी, भारतीय बाजार को कई घरेलू उत्पादकों, संबद्ध देश से शुल्क-भुगतान वाले आयातों और गैर-संबद्ध देशों से आयातों द्वारा वस्तुएं मिलती रहेंगी।

98. इसके अलावा, प्राधिकारी ने भाग लेने वाले प्रयोक्ता आयातक एम्फेनॉल एफसीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर अंतिम प्रयोक्ताओं पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव का आकलन किया है और नीचे दिए गए अनुसार नोट करते हैं:

पीयूसी के प्रयोग करके विनिर्मित अंतिम उत्पाद की कुल लागत और लाभ	**यूओएम**	**प्रति इकाई लागत**
अंतिम उत्पाद की कुल लागत	रू./संख्या	***
पीयूसी की लागत	रू./संख्या	***
40% एडीडी	रू./संख्या	***
एडीडी के कारण बढ़ी हुई लागत	रू./संख्या	240-250
बिक्री कीमत	रू./संख्या	***
एडीडी के पश्चात बिक्री पर लाभ	%	***

एडीडी का प्रभाव	%	0-5%

स्रोत: एम्फेनोल एफसीआई प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर

99. उपरोक्त आकलन के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव सीमित होगा। जैसा कि ऊपर प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तावित शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप पीयूसी का उपयोग करके निर्मित अंतिम उत्पाद के लाभ मार्जिन में लगभग 0-5% की अनुमानित कमी आएगी, जबकि प्रयोक्ता उद्योग प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के कारण होने वाली अतिरिक्त लागत को खपाने के बाद भी बिक्री पर लगभग ***% का लाभ मार्जिन अर्जित करना जारी रखेगा। तदनुसार, प्रयोक्ता उद्योग अपने प्रचालन और लाभप्रदता पर किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव के बिना ऐसी अतिरिक्त लागत को वहन करने की स्थिति में होगा। पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, कोई कमी उत्पन्न नहीं होगी और न ही प्रयोक्ताओं पर कोई असंगत बोझ पड़ेगा। इससे केवल यह सुनिश्चित होगा कि आयात उचित कीमतों पर भारत में प्रवेश करें और घरेलू उद्योग को क्षति न पहुंचाएं। तदनुसार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर कथित प्रतिकूल प्रभाव निराधार और अतिशयोक्तिपूर्ण है।

ट. प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियाँ

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

100. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

क. जे जी ई टी प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वह पाटन मार्जिन निर्धारण के संबंध में अपनाई गई कार्यप्रणाली एवं निष्कर्षों को यथावत् रखे तथा अंतिम निष्कर्षों में उनकी पुष्टि करे।

ख. निंगबो एक्सीलेंस प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि प्रकटीकरण कथन में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उसके ऋणात्मक मार्जिनों की पुष्टि करे।

ग. धनात्मक डंपिंग मार्जिन के अभाव में, प्राधिकारी से अनुरोध है कि झेजियांग चाओलियन इलेक्ट्रॉनिक कं. के लिए शून्य एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की जाए।

घ. जेड टी सी प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि उसके ऋणात्मक डंपिंग/क्षति मार्जिन की पुष्टि करे तथा अंतिम निष्कर्षों में जेड टी सी के लिए शून्य शुल्क की सिफारिश करे।

ङ. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान सारवान क्षति नहीं झेली है, जैसा कि घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता एवं उत्पादन में हुई वृद्धि से स्पष्ट है।

च. घरेलू उद्योग समूची क्षति अवधि के दौरान 60-70% की सुसंगत बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने में सक्षम रहा है, जो क्षति के दावे के साथ असंगत है।

छ. उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में हुआ सुधार यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान धनात्मक प्रदर्शन किया है और विषय आयातों के कारण उसने कोई सारवान क्षति नहीं झेली है।

ज. घरेलू उद्योग आंतरिक कारकों एवं परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण प्रभावित हो रहा है, और घरेलू उद्योग को होने वाली कोई भी क्षति विषय आयातों के कारण नहीं है।

झ. विषय आयातों से स्वतंत्र कई कारक विद्यमान हैं, जिनमें उच्च ब्याज लागत, बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी आवश्यकताएँ तथा उच्चतर मूल्यह्रास लागत सम्मिलित हैं, जिन्होंने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

ञ. विषय आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क का आरोपण लोकहित में नहीं होगा। शुल्क आरोपण से पश्चप्रवाही उद्योगों की निविष्टि लागत बढ़ेगी, परियोजना लागत में वृद्धि होगी तथा भारतीय विनिर्माताओं एवं अवसंरचना परियोजनाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ट. एंटी-डंपिंग शुल्क के कारण लागत में कोई भी वृद्धि उच्चतर अधिप्राप्ति व्यय की ओर ले जाएगी और ऐसी परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

ट. 2 घरेलू उद्योग के विचार

101. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

क. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वह अपने इस निष्कर्ष की पुष्टि करे कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएँ, एडी नियम, 1995 के नियम 2(d) के अर्थ में चीन जनवादी गणराज्य से आयातित विषय वस्तुओं की 'समान वस्तु' हैं।

ख. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वह पुष्टि करे कि बी सी एल एवं एस टी एल घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन पात्रता की अपेक्षा को पूरा करता है।

ग. घरेलू उद्योग यह नोट करता है कि भाग लेने वाले निर्यातक भारत को कुल निर्यात का केवल 11% हैं, और चार भाग लेने वाले निर्यातकों में से तीन ने भारत को केवल पैच कॉर्ड निर्यात किए हैं।

घ. इन निर्यातकों का ऋणात्मक डंपिंग मार्जिन पूर्णतः असमरूप उत्पादों के परिकलित सामान्य मूल्य/एनआईपी के आधार पर डंपिंग/क्षति मार्जिन के निर्धारण के कारण है।

ङ. घरेलू उद्योग मुख्यतः कॉपर डेटा केबल का विनिर्माण करता है, तथा बिड़ला केबल लिमिटेड द्वारा बहुत सीमित मात्रा में पैच कॉर्ड (कॉपर डेटा केबल का एक विशेष प्रकार) का विनिर्माण किया जाता है। सामान्य कॉपर डेटा केबलों की तुलना में, जो प्रायः 305 मीटर के बॉक्सों में निरंतर लंबाई में व्यापार किए जाते हैं, पैच कॉर्ड 0.5-1 मीटर लंबाई में बेचे जाते हैं और उपकरणों को जोड़ने हेतु कनेक्टरयुक्त सिरों वाले होते हैं।

च. सामान्य कॉपर डेटा केबलों की तुलना में पैच कॉर्ड की मूल्य-निर्धारण एवं लागत संरचना में विद्यमान महत्वपूर्ण अंतर को देखते हुए, प्राधिकारी को पैच कॉर्ड और अन्य कॉपर डेटा केबलों के लिए पृथक मार्जिन निर्धारित करने चाहिए थे।

छ. घरेलू उद्योग का पैच कॉर्ड उत्पादन उसके कुल उत्पादन का 0-1% है, अतः कॉपर डेटा केबलों के लिए समग्र रूप से भारित औसत परिकलित सामान्य मूल्य तथा भारित औसत गैर-क्षतिकारक मूल्य पैच कॉर्ड के वास्तविक सामान्य मूल्य अथवा गैर-क्षतिकारक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता।

ज. यद्यपि 4 भाग लेने वाले निर्यातकों में से 3 ने केवल पैच कॉर्ड निर्यात किए हैं, इन निर्यातकों को संभवतः उन कॉपर डेटा केबलों के लिए भी शून्य शुल्क की सिफारिश प्राप्त होगी जिनका उन्होंने बिल्कुल भी निर्यात नहीं किया है।

झ. घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि शुल्क की सिफारिश करते समय प्राधिकारी इस अंतर को ध्यान में रखे तथा इन निर्यातकों के लिए केवल पैच कॉर्ड हेतु शून्य शुल्क की सिफारिश करे, और अन्य कॉपर डेटा केबलों के लिए अवशिष्ट शुल्क इन भाग लेने वाले निर्यातकों पर भी लागू किया जाए।

ञ. जांच अवधि में चीन जनवादी गणराज्य से विषय वस्तुओं के आयात में आधार वर्ष की तुलना में 187% की वृद्धि हुई, जो भारतीय मांग में वृद्धि से कहीं अधिक तीव्र दर पर थी, यद्यपि घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता थी।

ट. जांच अवधि में मांग बढ़ने के बावजूद, मांग में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय गिरावट आई, जबकि विषय आयातों की तत्संबंधी बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष के एकल अंक से बढ़कर जांच अवधि में लगभग 30% हो गई।

ठ. यद्यपि जांच अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग एवं घरेलू बिक्री मांग में वृद्धि के अनुरूप बढ़े, यह सुधार केवल बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने हेतु लागत से नीचे बिक्री करके प्राप्त किया गया, और फिर भी संस्थापित क्षमता का 30-40% से अधिक भाग निष्क्रिय रहा।

ड. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में तीव्र गिरावट आई है, जांच अवधि में कर-पूर्व लाभ ऋणात्मक हो गया, और

कम क्षमता उपयोग तथा बढ़ती मांग के बावजूद क्षति अवधि में उसकी सूची में वृद्धि हुई है।

ढ. चीन जनवादी गणराज्य से विषय वस्तुओं की डंपिंग तथा घरेलू उद्योग द्वारा झेली गई क्षति के बीच स्पष्ट कारण संबंध विद्यमान है, और किसी अन्य ज्ञात कारक ने ऐसी क्षति नहीं पहुँचाई है अथवा उसमें योगदान नहीं दिया है।

ण. भाग लेने वाले उपयोगकर्ता, एम्फेनॉल एफसीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी ने सही निष्कर्ष निकाला है कि प्रस्तावित एंटी-डंपिंग शुल्क का उपयोगकर्ता उद्योग पर प्रभाव अंतिम-उत्पाद के लाभ मार्जिन में 0-5% की कमी तक सीमित होगा, जबकि उपयोगकर्ता उद्योग एंटी-डंपिंग शुल्क को वहन करने पर भी बिक्री पर लगभग 45-55% का लाभ मार्जिन अर्जित करता रहेगा।

त. भारत में विषय वस्तुओं के लिए कोई मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है, तथा घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

थ. अनुशंसित एंटी-डंपिंग शुल्क केवल भारतीय घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।

ट. 3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

102. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग एवं अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा दायर प्रकटीकरण-पश्चात प्रस्तुतियों का परीक्षण किया है। प्राधिकारी नोट करता है कि प्रकटीकरण-पश्चात चरण में की गई कई प्रस्तुतियाँ जांच के दौरान पहले से की गई प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति हैं, जिनका प्रकटीकरण कथन में पूर्व में ही परीक्षण किया जा चुका है। तथापि, प्राधिकारी ने उन सभी सुसंगत टिप्पणियों पर विचार किया है, जहाँ तक वे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और अंतिम निर्धारण के लिए तात्विक हैं।

103. पैच कॉर्ड एवं अन्य कॉपर डेटा केबलों के लिए पृथक शुल्क दर, अर्थात् उत्पाद-श्रेणी-वार शुल्क की सिफारिश हेतु घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि किसी भी चरण पर न तो घरेलू उद्योग और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्ष ने

पीसीएन के निरूपण अथवा उत्पाद-विशिष्ट डंपिंग या क्षति मार्जिन परीक्षण का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति मार्जिन का निर्धारण उत्पाद के लिए समग्र रूप से किया जाना है, न कि उत्पाद की पृथक श्रेणियों के लिए, जब तक कि पीसीएन निरूपित न किए गए हों। तदनुसार, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियों से असहमत है।

104. अन्य हितबद्ध पक्षों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है, क्योंकि वह क्षति अवधि में अपनी संस्थापित क्षमता एवं उत्पादन बढ़ाने में सक्षम रहा है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने विषय वस्तुओं की भारतीय मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप क्षति अवधि में अपनी संस्थापित क्षमता एवं विचाराधीन उत्पाद उत्पादन में वृद्धि की। तथापि, भारत में पर्याप्त मांग विद्यमान होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की क्षमता का महत्वपूर्ण भाग अनुपयोगित रहा।

105. यह भी नोट किया जाता है कि आधार वर्ष एवं जांच अवधि के बीच विषय आयातों की मात्रा में 187% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, 2023-24 एवं जांच अवधि के बीच डंप किए गए आयातों के लैंडेड मूल्य में 51% की गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि लैंडेड मूल्यों में गिरावट के कारण वह अपनी बिक्री लागत से नीचे बिक्री करने के लिए बाध्य हुआ। इस प्रकार, यद्यपि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा, तथापि यह लागत से नीचे बिक्री करके प्राप्त किया गया।

106. पीबीआईटी एवं पीबीडीआईटी में हुई वृद्धि के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि यह सुधार ब्याज लागत में वृद्धि के कारण है, जो मुख्यतः कॉपर की अधिप्राप्ति हेतु कार्यशील पूंजी उधारी से संबंधित है और जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि के साथ बढ़ी है, तथा जो किसी असाधारण या असंबद्ध वित्तीय निर्णय का परिणाम नहीं है। तदनुसार, इसे घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, जांच अवधि में घरेलू उद्योग के नकद लाभ में भी गिरावट आई है।

107. अन्य हितबद्ध पक्षों ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण क्षति हो रही है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि एस टी एल एवं बी सी एल दोनों अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहे हैं, यद्यपि

लागत से नीचे बिक्री करके। इसके अतिरिक्त, विषय वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट चीन जनवादी गणराज्य से विषय वस्तुओं के आयात के कारण संचालित रही है, जिनमें 2023-24 एवं जांच अवधि के बीच 51% की गिरावट आई, जिससे घरेलू उद्योग के मूल्यों में अल्पीकरण हुआ। तदनुसार, यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग को क्षति घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण है।

108. जांच में भाग लेने वाले उपयोगकर्ता उद्योग एम्फेनॉल एफसीआई ने यह दावा किया है कि पाटन-रोधी शुल्क का आरोपण पश्चप्रवाही उपयोगकर्ताओं की निविष्टि लागत बढ़ाएगा तथा भारतीय विनिर्माताओं एवं अवसंरचना परियोजनाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि एम्फेनॉल ने एम्फेनॉल एफसीआई के आंकड़ों के आधार पर परिकलित एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव पर कोई सारवान टिप्पणी प्रस्तुत किए बिना केवल एक सामान्य कथन दिया है। एम्फेनॉल एफसीआई ने अपनी आर्थिक हित प्रश्नावली में स्वीकारतः यह प्रकट किया है कि वह अंतिम-उत्पाद पर लगभग ***% लाभ अर्जित करती है। ऐसी स्थिति में, शुल्क का आरोपण केवल उपयोगकर्ता उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट लाएगा, जिसे विशाल लाभ मार्जिन को देखते हुए उपयोगकर्ता उद्योग सहजता से वहन कर सकेगा। तदनुसार, प्राधिकारी यह नहीं मानता कि एंटी-डंपिंग शुल्क का आरोपण अंतिम उपयोगकर्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।

ठ. निष्कर्ष

109. सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा दायर प्रस्तुतियों तथा उनमें उठाए गए मुद्दों का परीक्षण करने के पश्चात्, एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है:

क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A सहित सभी संरचित कॉपर डेटा केबल तथा पैच कॉर्ड” है।

ख. एंटी-डंपिंग शुल्क के आरोपण हेतु आवेदन एस टी एल एवं बी सी एल द्वारा दायर किया गया था। एस टी एल एवं बी सी एल, एडी नियम, 1995 के नियम

2(b) तथा एडी नियम, 1995 के नियम 5(3) के अर्थ में भारतीय कॉपर डेटा केबल उत्पादन के प्रमुख अनुपात का गठन करते हैं।

ग. प्राधिकारी ने लेनदेनों के सम्यक् परीक्षण के पश्चात् विषय वस्तुओं के आयात के परीक्षण हेतु डीजी सिस्टम्स आंकड़ों पर विश्वास किया है।

घ. विषय देशों के सभी भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित डंपिंग मार्जिन एवं क्षति मार्जिन ऋणात्मक है। प्राधिकारी नोट करता है कि यद्यपि भाग लेने वाले निर्यातकों के लिए निर्धारित डंपिंग मार्जिन ऋणात्मक है, तथापि ऐसे निर्यातक विषय देश से विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात का मात्र 11% हैं। अतः उनका व्यक्तिगत मूल्य-निर्धारण व्यवहार आयातों के अत्यधिक बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

ङ. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान सारवान क्षति झेली है, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:

(i) विषय देशों से डंप किए गए आयातों की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों रूपों में बढ़ी है।

(ii) क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता में वृद्धि तथा मांग में वृद्धि के बावजूद, जांच अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता का महत्वपूर्ण भाग निष्क्रिय रहा।

(iii) विषय देश से विषय वस्तुओं के आयात का लैंडेड मूल्य आवेदकों के विक्रय मूल्य से नीचे है, जिसके परिणामस्वरूप धनात्मक एवं उल्लेखनीय मूल्य अल्पीकरण हुआ है।

(iv) विषय देशों से विषय वस्तुएँ घरेलू उद्योग के मूल्यों का दमन कर रही हैं।

च. किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचाई है, और घरेलू उद्योग को क्षति भारत में विषय आयातों की डंपिंग के कारण है।

छ. एंटी-डंपिंग शुल्क का आरोपण वृहत्तर लोकहित में होगा, जैसे किसी हितबद्ध पक्ष ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि शुल्क का आरोपण लोकहित पर अनुपातहीन प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

ड. सिफारिश

110. प्राधिकारी नोट करता है कि जांच आरंभ की गई तथा सभी हितबद्ध पक्षों को अधिसूचित की गई, एवं घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को पाटन, क्षति एवं कारण संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटन रोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति एवं कारण संबंध की जांच आरंभ करने और संचालित करने के पश्चात्, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन एवं क्षति की भरपाई हेतु एंटी-डंपिंग शुल्क का आरोपण आवश्यक है। अतः, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानता है और विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क आरोपित करने की सिफारिश करता है।

111. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए अल्पतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने हेतु डंपिंग मार्जिन एवं क्षति मार्जिन में से जो कम हो, उसके बराबर एंटी-डंपिंग शुल्क आरोपित करने की सिफारिश करता है। तदनुसार, प्राधिकारी विषय देशों में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित विषय वस्तुओं के आयात पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि हेतु, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के स्तंभ 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटन रोधी शुल्क आरोपित करने की सिफारिश करता है:

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	उद्भव देश	निर्यात देश	उत्पादक का नाम	राशि (US$/MT)
1	2	3	4	5	6	7
1	854449	कॉपर	चीन जनवादी	कोई भी	जेडटीसी टैक्नॉलाजी	शून्य

गैर-गोपनीय

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	उद्भव देश	निर्यात देश	उत्पादक का नाम	राशि (US$/MT)
		डेटा केबल*	गणराज्य		(सुझोउ) कं. लि.	
2	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	जिनहुआ गुआनयंग इलेक्ट्रानिक टेक्नॉलाजी कं. लि.	शून्य
3	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	झेजियांग चाओलियान इलेक्ट्रिक कं. लि..	शून्य
4	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	निंगबो एक्सीलेंस कम्युनिकेटेड कनेक्टर कं. लि.	शून्य
5	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	क्र.सं. 1 से 4 के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	86
6	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	86

* CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A सहित सभी संरचित कॉपर डेटा केबल तथा पैच कॉर्ड।

नोट - उपर्युक्त में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का अनुप्रयोग सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी द्वारा – जिसकी पहचान उसके नाम एवं पदनाम से हो – दिनांकित एवं हस्ताक्षरित एक घोषणा निम्नानुसार अंकित होगी:

> "*मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस बीजक में सम्मिलित, भारत को निर्यात हेतु विक्रीत (मात्रा) (संबंधित उत्पाद) का विनिर्माण (उत्पादक का नाम एवं पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना पूर्ण एवं सही है।*

यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा, सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा लागू सीमा-शुल्क विधियों एवं विनियमों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से किए गए सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

ढ. आगे की प्रक्रिया

112. इन अंतिम निष्कर्षों में नामित प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील, अधिनियम/नियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष होगी।

अमिताभ कुमार

(निर्दिष्ट प्राधिकारी)

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 16-09-2026
17:43:30